न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:–13 / 2025 दायरा दिनांक 16.09.2029

पीठासीन अधिकारी :–श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. घनश्याम पुत्र जवाहरलाल जाति लुहार निवासी समरानियां हाल निवास दातां केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0)
2. सत्यनारायण पुत्र जवाहर जाति लुहार निवासी समरानियां तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0)
3. विध्या पुत्री जवाहर पत्नी सावलिया जाति लुहार निवासी समरानियां हाल निवास फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला बारां (राज0)
4. लाली पुत्री जवाहरलाल पत्नी महेश जाति लुहार निवासी समरानियां हाल निवास छर्च तहसील व जिला शिवपुरी (म0प्र0)
5. धापी बाई पुत्री जवाहरलाल पत्नी महेश कुमार जाति लुहार निवासी समरानियां हाल निवास खजुरपुरा रेलवे फाटक के पास बारां जिला बारां (राज0)

–अपीलान्टगण

–: बनाम :–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार केलवाडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

श्री धीरेन्द्र कुमार माली :– वकील, अपीलान्टगण।
पैरोकार सरकार :– रेस्पोडेन्ट।

अपील विरूद्ध फोती नामान्तरकरण संख्या 644 दिनांक 30.05.1993 ग्राम समरानियां उपतहसील केलवाडा तहसील शाहबाद

निर्णय दिनांक 13.05.2026

अपीलान्टगण द्वारा यह अपील बनाराजगी फोती नामान्तरकरण **संख्या 644 दिनांक 30.05.1993 ग्राम समरानियां तहसील शाहबाद** को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि नायब तहसीलदार, केलवाडा के द्वारा प्रमाणित किया गया फोती नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि– वांकेग्राम समरानियां पटवार हल्का समरानियां तहसील शाहबाद के खाता संख्या नई 404 पुरानी 386 में आराजी खसरा नम्बर 883 / 1288 रकबा 15.00 बीघा, खसरा नम्बर 1081 / 1325 रकबा 3.00 बीघा, खसरा नम्बर 1107 / 1326 रकबा 0.17 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 18.17 बीघा स्थित है। उक्त आराजी खाता रांख्या 404 की आराजी अपीलान्ट के पिता जवाहर लाल पुत्र झिगुरियां सा. देह के नाम खाते दर्ज रही हैं। अपीलान्ट जवाहरलाल पुत्र झिंगुरियां के वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी हैं। जिनके नाम प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण के जरिये खातेदार जवाहरलाल की विरासत दर्ज की गई, जो सही हैं। अपीलान्ट कम-1

का घरेलू बोलता नाम श्याम हैं तथा रिकॉर्ड नाम घनश्याम, अपीलान्ट कम-3 का घरेलू बोलता नाम बिधी हैं तथा रिकॉर्ड नाम विध्या व अपीलान्ट कम-5 का घरेलू बोलता नाम गुड्डी हैं तथा रिकॉर्ड नाम धापीबाई हैं,जो अपीलान्ट के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड में दर्ज हैं। वक्त तस्दीक फौती नामान्तरकरण में अपीलान्ट का घरेलू बोलता नाम दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट कम-1 घनश्याम अथवा घनश्याम उर्फ श्याम, अपीलान्ट कम-3 विध्या अथवा विध्या उर्फ बिधी व अपीलान्ट कम-5 धापीबाई अथवा धापीबाई उर्फ गुड्डी, दर्ज किया जाना चाहिये था। इस कारण प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलान्ट वक्त तस्दीक प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण अपीलान्ट मौजूद थे, जिन्हे प्रश्नबत नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही कोई पूछताछ की गई और अपने स्तर पर ही अपीलान्ट का घरेलू बोलता नाम दर्ज कर प्रश्नगत नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

दिनांक 15.07.2025 को के.सी.सी.बनवाने हेतु हल्का पटवारी से नकल जमावंदी प्राप्त करने पर सर्व प्रथम प्रश्नगत नामान्तरकरण का ज्ञान अपीलान्ट को हुआ, ज्यों ही ज्ञान हुआ दिनांक 15.07.2025 को हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरकरण की अधूरी तथा अस्पष्ट नकल दे दी गई। उसके बाद दिनांक 25.07.2025 को अपीलान्ट ने प्रश्नगत नामान्तरकरण की पुनः स्पष्ट तथा सम्पूर्ण नकल प्राप्त की हैं। इस प्रकार यह अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेश हैं। डिले कंडोन हेतु प्रार्थना पत्र दफ 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ संलग्न हैं।

विद्वान वकील अपीलान्ट की एक पक्षिय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलन्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्टस के पिता जवाहर लाल पुत्र झिगुरियां सा. देह के नाम खाते दर्ज रही हैं। अपीलान्ट जवाहरलाल पुत्र झिंगुरियां के वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी हैं। जिनके नाम प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण के जरिये खातेदार जवाहरलाल की विरासत दर्ज की गई, जो सही हैं। अपीलान्ट कम-1 का घरेलू बोलता नाम श्याम हैं तथा रिकॉर्ड नाम घनश्याम, अपीलान्ट कम-3 का घरेलू बोलता नाम बिधी हैं तथा रिकॉर्ड नाम विध्या व अपीलान्ट कम-5 का घरेलू बोलता नाम गुड्डी हैं तथा रिकॉर्ड नाम धापीबाई हैं,जो अपीलान्ट के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड में दर्ज हैं। वक्त तस्दीक फौती नामान्तरकरण में अपीलान्ट का घरेलू बोलता नाम दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट कम-1 घनश्याम अथवा घनश्याम उर्फ श्याम, अपीलान्ट कम-3 विध्या अथवा विध्या उर्फ बिधी व अपीलान्ट कम-5 धापीबाई अथवा धापीबाई उर्फ गुड्डी, दर्ज किया जाना चाहिये था। इस कारण प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य हैं।

हमने विद्वान अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने बताया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 1 का नाम घनश्याम के स्थान पर श्याम, अपीलान्ट क्रम 3 का नाम विध्या के स्थान पर बिधी व अपीलान्ट कम 5 का नाम धापीबाई के स्थान पर गुड्डी गलत दर्ज किया गया हैं, जबकि अपीलान्टक्रम 1 का नाम घनश्याम, अपीलान्टक्रम 3 का नाम विध्या व अपीलान्ट कम 5 का नाम धापीबाई, वास्तविक नाम है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम समरानियां का इंतकाल नं. 644 दिनांक 30.05.1993 निरस्त किया जाता है तथा नायव तहसीलदार केलवाडा के प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्टगण के नाम की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल इंतकाल नं. 644 निर्णय दिनांक 30.05.1993 की प्रति सहित तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

अतिरिक्त कलक्टर
शाहाबाद (बारां)